

Tear Here

Acceptance of Coins for Transactions or Exchange at Branches

Coins in denomination of 50 paise continue to be valid / legal tender and may be used for transactions in normal course.

Provided that the coin has not been defaced and has not lost weight so as to be less than such weight as may be prescribed in its case.

५० पैसे के मूल्य वर्ग के सिक्के अभी भी मान्य/कानूनी वैध मुद्रा है और सामान्य रूप से लेन-देन के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

बशर्ते सिक्का विकृत न हो और उसने इतना वजन न गंवाया हो, कि उसका वजन इसके मामले में विनिर्धारित वजन से कम हो।

50 पईछा मूल्यब मुद्रा वैध/आईनी मुद्रा हिचापे अब्याहत थाकिब आरु सचबाचब लेनदेनब बाबे ब्यरहाब कबिब पबा याब ।

एई चर्तत ये मुद्राटो विकृत होरा नाई आरु इयाब क्षेत्तत निर्धारित ओजनतकै कम ओजनब होराकै ओजन हेरुओरा नाई ।